न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 239/2019

GCMS NO. : 2019/00200

-:: प्रार्थीगण ::-

1. चैना पुत्र मेघा
2. पूना पुत्र उगमा

जाति- देवासी (राईका), निवासीगण- राबडियावास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. शंकर पुत्र मेघा
2. ढगलिया पुत्र मेघा

जातियान- देवासी (राईका), निवासीगण- राबडियावास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।

3. ओगडीया पुत्र पूना
4. देवा पुत्र भोपाल
5. निम्बा पुत्र भोपाल
6. पुखीदेवी पत्नी भोपाल
7. इन्द्रादेवी पत्नी जीयाराम
8. भंवरीदेवी पत्नी गायडराम

देवासी (राईका), निवासीगण- राबडियावास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।

9. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 05/11/2019

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 28/02/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली में सायलान एवं गैरसायलान की पैतृक पुश्तैनी सामलाती कब्जे काश्त अविभक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 551/2 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 555 रकबा 86 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 89-03 बीघा स्थित है। उक्त आराजी में सायलान एवं गैरसायलान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार आपसी सहमति से बिना कानूनी बंटवाडा के काश्तकरते चले आ रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन गैरसायलान सायलान के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं सायलान की खन्दक/मेडबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं सायलान को हर समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उनके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। सायलान अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नही ले सकते तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकते एवं अनको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है इसलिए सायलान ने गैरसायलान को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 12/10/19 को कहा तो गैरसायलान स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं गैरसायलान ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देंगे एवं सायलान् को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगे। यदि गैरसायलान अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं सायलान को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायलान् को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधा व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश है। मौके पर सायलान का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान के पक्ष में है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 मे वर्णित भूमि में से सायलान अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई, बुवाई, कटाई, निराई, गुडाई, सिंचाई आदि करें या करावे तो उसमे गैरसायलान उनके बाल–बच्चे, नोकर–चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार–नातेदार आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी एवं अडचन व्यवधान रोकटोड आदि न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निसतारण तक रोका जावे व जब तक उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्डस बाउण्डस के बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायलान उक्त संयुक्त सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि नही करे एवं सायलान् को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करे तथा उक्त कृषि भूमि को खूर्द बुर्द नहीं करे, परिवर्तन नही करे, कच्च– पक्का निर्माण नहीं करे, मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् बनाये रखने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान बावजूद नोटिसेज तामिल/सूचना व बार–बार आवाजें दिलाई जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील प्रार्थीगण [illegible] प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुनी गई। हमनें

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhurika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम राबडियावास के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 551/2 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 555 रकबा 86 बीघा संयुक्त शामलाती सह–खातेदारी भूमि है। सायलान/प्रार्थीगण ने यह कथन किया कि गैरसायलान बिना कृषि भूमि का कानूनी बंटवाडा करवाए ही वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान अन्य व्यक्तियों को करने पर आमादा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि संयुक्त सामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर समान हक व अधिकार निहित होता है। किसी सह–खातेदार द्वारा सामलाती आराजी के विधिवत् विभाजन से पूर्व यदि वादग्रस्त आराजी के किसी विशिष्ट भू–भाग का हस्तांतरण किया जाता है तो अन्य सह–खातेदारों के हित निश्चित ही प्रभावित होंगे। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है साथ ही सामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है साथ ही यदि गैरसायलान के द्वारा सामलाती आराजी के विशिष्ट भू–भाग का हस्तांतरण किया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जबकि सामलाती, संयुक्त आराजी के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह–खातेदार का समान हक–अधिकार निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि यदि दौराने वाद विचारण वादग्रस्त आराजी के किसी विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तांतरण होता है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता एवं विलंब कारित होगा। अतः मूल वाद के निस्तारण तक हम उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना विधि–संगत एवं उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान सायलान एवं गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 551/2 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 555 रकबा 86 बीघा सभी किस्म बारानी अव्वल के विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:32 IST
Reason: SelfAttested